

भाग-3

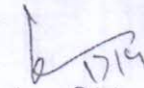
(सम्बन्धित वन संरक्षक द्वारा भरा जाना है)

जनपद चमोली के विकासखण्ड दशोली में प्रस्तावित राज्य योजनान्तर्गत डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.54 है० वन भूमि का हस्तान्तरण प्रस्ताव

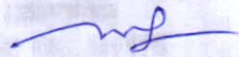
14	स्थल जहाँ की वन भूमि शामिल की गई है क्या इसका संबंधित वन संरक्षक ने निरीक्षण किया है ? (हाँ/नहीं) यदि हाँ तो निरीक्षण नोट के रूप में संलग्न करें।	नहीं
15	क्या सम्बन्धित वन संरक्षक भाग-ख में दी गयी सूचना और उप वन संरक्षक के सुझावों से सहमत है।	हाँ
16	प्रस्ताव की स्वीकृति या अन्यथा के बारे में सम्बन्धित वन संरक्षक की विस्तृत कारणों के साथ विशेष सिफारिशें।	प्रस्तावित डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला मोटर मार्ग निर्माण हेतु 2.54 है० वन भूमि का निरीक्षण उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर द्वारा दि० 16.01.2018 को किया गया। उप वन संरक्षक, केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर की संस्तुति के आधार पर डुंग्री से कौंज पोथनी-बौला तक मोटर मार्ग निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण की संस्तुति इस प्रतिबन्ध के साथ प्रदान की जाती है कि निर्माण कार्य से प्रभावित वन भूमि के अतिरिक्त किसी भी प्रकार की अन्य वन भूमि एवं वृक्ष प्रजाति प्रभावित न होने पावे तथा निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवे का निस्तारण सावधानी पूर्वक निर्धारित स्थान (डम्पिंग साईट) पर किया जाय।

तिथि.....17/11/18

स्थान- गोपेश्वर।


(मान सिंह)

निदेशक / वन संरक्षक,
नन्दादेवी बायोस्फीयर रिजर्व, गोपेश्वर।



अधिकासी अभियन्ता
प्रताप खण्ड लोक निर्माण विभाग,
गोपेश्वर